न्यायालय जिला कलेक्टर, खैरथल-तिजारा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या: 12/68/2025 GCMS **संख्या:** 2025/234

दर्ज दिनांक: 28.04.2025 **निर्णय दिनांक:** 30.04.2026

1– राजू पुत्र ताराचन्द जाति नाई, निवासी ग्राम जाट भगोला, तहसील मुंडावर, जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

अपीलान्ट

बनाम

2– नायब तहसीलदार, मुंडावर, जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

रेस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत– न्यायालय नायब तहसीलदार, मुंडावर द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के अंतर्गत पारित आदेश दिनांक 20.03.2025, मुकदमा संख्या 351/2024

उपस्थिति:

1. श्री अरुण पंडित –वकील अपीलान्ट
2. विभागीय प्रतिनिधी –अभिलेखानुसार

निर्णय

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत यह राजस्व अपील न्यायालय नायब तहसीलदार, मुंडावर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.03.2025 के विरुद्ध है, जिसके द्वारा आराजी खसरा नं. 30 किस्म गैरमुमकिन चारागाह में से 1.5 हैक्टेयर भूमि पर अपीलान्ट का अवैध अतिक्रमण मानते हुए अतिक्रमण हटाने, खड़ी फसल को हटाने तथा पुनः अतिक्रमण की दशा में नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही के निर्देश दिए गए।

अपीलान्ट का मुख्य कथन है, कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना समुचित नोटिस एवं विधिवत तामील के आदेश पारित किया गया, हल्का पटवारी द्वारा गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, तथा उसके विरुद्ध पर्याप्त जांच किए बिना निर्णय दिया गया। यह भी कहा गया है, कि अपीलान्ट द्वारा न तो पूर्व में और न वर्तमान में किसी प्रकार का अतिक्रमण किया गया है।

मैंने अपील पत्र, अपीलित आदेश तथा उपलब्ध अभिलेखीय सामग्री का अवलोकन किया। रिकॉर्ड से स्पष्ट है, कि मूल प्रकरण हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर दर्ज किया गया, जिसमें सार्वजनिक प्रकृति की भूमि गैरमुमकिन चारागाह पर अतिक्रमण का उल्लेख है। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व रिकॉर्ड, पटवारी प्रतिवेदन, उपलब्ध पत्रावली तथा मौके की स्थिति के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि अपीलान्ट द्वारा सरकारी भूमि पर कब्जा किया गया है।

तामील संबंधी आपत्ति पर विचार किया गया। अभिलेख से यह परिलक्षित होता है, कि नोटिस जारी किए गए तथा तामील की कार्यवाही भी की गई। भले ही अपीलार्थी ने तामील की विधिवतता पर प्रश्न उठाया हो, तथापि मात्र कथित तकनीकी त्रुटि के आधार पर आदेश को निरस्त नहीं किया जा सकता, जब तक यह सिद्ध न हो कि उससे अपीलार्थी को वास्तविक और गंभीर पूर्वाग्रह पहुंचा तथा वह अपने पक्ष के प्रस्तुतीकरण से पूर्णतः वंचित रहा। वर्तमान प्रकरण में अपीलार्थी अपीलीय स्तर पर उपस्थित होकर अपना पक्ष रख रहा है, किन्तु वह ऐसा कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका जिससे अधीनस्थ न्यायालय का अतिक्रमण संबंधी निष्कर्ष तथ्यहीन, मनमाना या अभिलेख–विरुद्ध सिद्ध हो।

विवादित भूमि गैरमुमकिन चारागाह /सार्वजनिक उपयोग की भूमि की श्रेणी में आती है। ऐसी भूमि पर अतिक्रमण सार्वजनिक हित के प्रतिकूल है तथा राजस्व प्रशासन का दायित्व है, कि ऐसी भूमि को अतिक्रमणमुक्त रखा जाए। यदि अभिलेखीय सामग्री से अतिक्रमण सिद्ध हो रहा हो, तो केवल प्रक्रिया संबंधी आपत्ति के आधार पर अतिक्रमणकारी को संरक्षण प्रदान नहीं किया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश इसी वैधानिक उद्देश्य की पूर्ति में पारित किया गया प्रतीत होता है।

अपीलीय अधिकारिता में हस्तक्षेप तभी किया जाना उचित है, जब अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्पष्टतः अभिलेख–विरुद्ध, विधि–विरुद्ध, अधिकारिता से परे या प्राकृतिक न्याय के गंभीर उल्लंघन से युक्त हो। वर्तमान प्रकरण में अपीलार्थी की आपत्तियाँ मुख्यतः तामील एवं पटवारी रिपोर्ट की शुद्धता तक सीमित हैं,

जिला कलक्टर
जिला खैरथल-तिजारा (राज०)

किन्तु वह अतिक्रमण के मूल तथ्य का विश्वसनीय खंडन नहीं कर पाया है। न तो कोई ऐसा राजस्व अभिलेख प्रस्तुत किया गया जिससे वैध कब्जा सिद्ध हो, और न ही ऐसा प्रत्यक्ष साक्ष्य जिससे यह कहा जा सके कि अधीनस्थ न्यायालय का निष्कर्ष पूर्णतः निराधार है।

फलतः यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है, कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप का कोई पर्याप्त आधार नहीं है। यदि गैरमुमकिन नदी/सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण पाया गया है, तो उसका हटाया जाना आवश्यक है। गैरमुमकिन नदी/सार्वजनिक भूमि को अतिक्रमणमुक्त रखना राजस्व प्रशासन का वैधानिक दायित्व है और इस दायित्व की पूर्ति हेतु पारित आदेश न्यायोचित है।

आदेश

1. अपीलान्ट राजू पुत्र ताराचन्द जाति नाई, निवासी ग्राम जाट भगोला, तहसील मुंडावर, जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान) द्वारा प्रस्तुत राजस्व अपील खारिज की जाती है।
2. न्यायालय नायब तहसीलदार, मुंडावर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.03.2025, मुकदमा संख्या 351/2024, यथावत कायम रखा जाता है।
3. संबंधित तहसीलदार/अधीनस्थ न्यायालय यह सुनिश्चित करे कि विवादित भूमि से अतिक्रमण नियमानुसार हटाया जाए तथा आवश्यक होने पर पुलिस सहायता प्राप्त कर आदेश की प्रभावी पालना कराई जाए।
4. यदि मौके पर खड़ी फसल अथवा अन्य अवरोध मौजूद हों, तो अधीनस्थ न्यायालय/राजस्व अमला नियमानुसार हटाने, कुर्की, नीलामी अथवा अन्य वैधानिक कार्यवाही करे।
5. निर्णय की प्रमाणित प्रति संबंधित न्यायालय को आवश्यक अनुपालन हेतु भेजी जाए।
6. पत्रावली नियमानुसार दफ्तर दाखिल की जाए।

निर्णय आज दिनांक 30.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अतुल प्रकाश)
जिला कलेक्टर
खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

जिला कलेक्टर
जिला खैरथल-तिजारा (राज०)